राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
परिवहन मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर

कमांकःएफ 1/मुख्या/याता/स.सा./2020/94 दिनांकः– 23 मार्च, 2020

समस्त विभागाध्यक्ष
मुख्य उत्पादन प्रबन्धक
जोनल मैनेजर
मुख्य प्रबन्धक
.................................।

विषयः राज्य में घोषित 'लॉक डाउन' (दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020) के संबंध में दिशा–निर्देश।

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग के आदेश कमांक प.33(2)/गृह–9/2019 जयपुर, दिनांक 22.03.2020 एवं परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.7 (94)परि/नियम/मु./2020/6477 जयपुर दिनांक 21.03.2020 के अनुसरण में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पूर्णतः बन्द (लॉक डाउन) घोषित किया गया है। इसके संबंध में मुख्यालय के समस्त अधिकारियों तथा निगम के समस्त आगार व उनके अधीनस्थ कार्यालयों व कार्यशालाओं हेतु निम्निलिखित निर्देश जारी किये जाते हैंः–

1. अनावश्यक कोई भी कार्यालय / कार्यशाला अथवा अन्य कोई उपकम इस 'लॉक डाउन' के दौरान खोला नहीं जायेगा।
2. किसी भी स्थिति में ऐसा वातावरण नहीं बनाया जाये जिसमें अनावश्यक रूप से अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य आमजन को एक स्थान पर इकट्ठा होने का अवसर मिले।
3. रोड़वेज से संबंधित सभी प्रकार के वित्तीय तथा अन्य व्यवहार संबंधित अधिकारी / कर्मचारी ही उपरोक्त दिशा–निर्देशों के मध्यनजर सावधानी के साथ पूर्ण करें।
4. रोड़वेज बसों को सही स्थान पर रखने के साथ अन्य सम्पत्तियों को भी सुरक्षित करने के प्रयास सावधानीपूर्वक कर दिये जायें ताकि 31.03.2020 तक अनावश्यक क्षति न हो। बार–बार बसों की शिफ्टिंग से बचें।
5. राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारियों द्वारा इस आपदा से निपटने के लिये यदि बसों/चालकों अथवा बस–स्टैण्ड आदि उपयोग में लेने के लिये निर्देश जारी किये जाते हैं तो मुख्य प्रबन्धक द्वारा समय पर पूरी सतर्कता के साथ तत्पर रहकर कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही की जानी चाहिये।

6. निजी व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा रोड़वेज से संबंधित सम्पत्तियों के उपयोग का कोई भी निवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। अत्यावश्यक प्रतीत होने पर अधोहस्ताक्षकर्ता अथवा कार्यकारी निदेशक (यातायात) श्री महावीर प्रसाद मीना से मोबाईल पर अविलम्ब सम्पर्क कर निर्देश प्राप्त करें।
7. यदि रोड़वेज से संबंधित किसी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा स्वयं के अथवा अपने परिवार के किसी भी प्रकार के 'कोरोना वायरस' संदिग्ध के घेरे में आने की सूचना प्राप्त होती है तो उसे अविलम्ब चिकित्सीय सेवाओं तक पहुंचाना हमारा अधिकार ही नहीं, मानवीय दायित्व भी है। इस संबंध में नियन्त्रण कक्ष से तुरन्त सम्पर्क कर बताया जाना चाहिये।
8. इस 'लॉक डाउन' की स्थिति में नियमित कार्यालय पूरी तरह से बन्द रहेगें। परन्तु अत्यावश्यक, अनिवार्य आपदा प्रबन्धन कार्यों के लिये कुछ लोगों को चिन्हित कर हमेशा सम्पर्क में रखा जाये और हम हर प्रकार की स्थिति के लिये उपलब्ध हों।

इस संबंध में राज्य सरकार से जब कभी भी अन्य आदेश जारी हों तो आप लोगों को व्हाटसएप, ईमेल नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा। आप स्थिति पर निगाह बनाये रखें। इन निर्देशों को यथोचित माध्यम से नीचे तक प्रसारित करें।

(नवीन जैन)
प्रबन्ध निदेशक

कमांकःएफ 1/मुख्या/याता/स.सा./2020/94 दिनांकः– 23 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
7. समस्त कलक्टर/पुलिस अधीक्षक,......................................
8. रक्षित पत्रावली।

(नवीन जैन)
प्रबन्ध निदेशक